

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-3, कोटा (राज 0)

पीठासीन अधिकारी - कुलदीप शर्मा, आरजेएस (डीजे केडर)
आपराधिक निगरानी संख्या - 280/2025
CNR No. RJKTO1-003743-2025



मकसूद पुत्र मोहम्मद इस्हाक निवासी शिव मंदिर के पास,
बालिता रोड, कुन्हाड़ी, कोटा राजस्थान

....निगरानीकार

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक कोटा

.....गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस. विरुद्ध आदेश
दिनांक 01.04.2025 न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, तहसील लाडपुरा, कोटा बसिलसिले मुकदमा सरकार
बनाम मकसूद, प्रकरण संख्या 204/2025, अन्तर्गत धारा 127
व 135(3) बी.एन.एस.एस.

उपस्थित:-

- 1- श्री अंसार उलहक अंसारी, अधिवक्ता, निगरानीकार
- 2- अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

- आदेश -

दिनांक: 21.07.2026

01. निगरानीकार मकसूद की ओर से यह निगरानी विद्वान तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसील लाडपुरा, कोटा के आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2025 के विरुद्ध श्रीमान सेशन न्यायाधीश, कोटा के समक्ष पेश की गई, जो विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से निगरानीकार को परिशांति बनाये रखने हेतु पचास हजार रुपये की जमानत एवं पचास हजार रुपये के मुचलके पर 12 माह की अवधि के लिए पाबंद करने के लिए तलब किया गया है।

02. बहस निगरानी सुनी गई।

03. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार-प्रार्थी द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि श्री महेन्द्र सिंह कांस्टेबल-1540 ने पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा के समक्ष निगरानीकार के विरुद्ध साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के सम्बंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर पुलिस

Authenticated Document



थाना कुन्हाड़ी कोटा द्वारा धारा 127 व 135(3) के तहत इस्तगासा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2025 को धारा 108 जाबता फौजदारी के तहत एक लिखित आदेश पारित कर धारा 133 के तहत प्रार्थी को नोटिस भिजवाया, जिस पर उसे अधीनस्थ न्यायालय में जमानत-मुचलके पेश करने पड़े हैं। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध तथा अप्रसन्नता से प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। उनका सर्वप्रथम कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साइक्लोस्टाईल रूप से आदेश पारित किया है जिसके तहत न तो नोटिस में और न ही आदेश में तलबी बाबत कोई कारण ही प्रकट नहीं किया गया है। इस कारण निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि सम्मत होना बताते हुए हस्तगत निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. उभयपक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

06. इस सम्बन्ध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी/निगराकार को नोटिस की प्रति भेजी गई थी, जिनके सम्मन की प्रति के साथ किसी भी प्रकार का धारा 114 दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो अब धारा 133 बी.एन.एस.एस. हो चुकी है) के प्रावधान के अंतर्गत धारा 111 दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो अब धारा 130 बी.एन.एस.एस. हो चुकी है) के अधीन जो आदेश है, उसकी प्रति संलग्न नहीं की गई है, इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 114 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है जबकि धारा 114 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी प्रत्येक वारण्ट या सम्मन के साथ धारा 111 के अधीन दिये आदेश की प्रति समन या वारण्ट के निष्पादनकर्ता को संबंधित को प्रदान करनी होगी।

07. इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2025 के अंतर्गत साइक्लोस्टाईल आर्डरशीट लिखी है जिसमें मजिस्ट्रेट को प्राप्त इतिला का सार अंकित नहीं है तथा आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई माईड अपलाई नहीं किया है तथा स्पष्ट है कि मात्र साइक्लोस्टाईल आदेश पारित



किया गया है और धारा 111 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्णतया पालना किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

08. इस सम्बंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण S.B.Criminal Revision Petition No. 885/2022 Ashutosh Sharma vs State में पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि-

"On perusal of the impugned order dt. 22.02.2022 & notice u/s 11 Cr.p.C., this Court finds that no reasons whatsoever have been recorded, which could demonstrate application of mind by the Id. Executive Magistrate. The aforesaid order and notice appear to have been passed on a re-printed cyclo-styled format, wherein only the blank space have been filled-in.

It cannot be said that the proceedings under Section 107/116/117 of Cr.P.C. seriously affect the liberty & reputation of an individual. Therefore, the statutory safeguards contained in the Code are required to be strictly complied with. The growing practice of passing judicial or quasi-judicial orders on pre-printed cyclostyled proformas, without recording reasons & satisfaction deserves strong disapproval. The judicial orders cannot be permitted to be reduced to mere mechanical exercises by filling-up blank space in printed forms or affixing ready made seals.

09. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किए गए सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध स्थितियों का अवलोकन किया जाता है तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किए जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता का ध्यान नहीं रखा है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तथ्य एवं विधि पर गुणहीन होने के कारण निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है।



मकसूद बनाम राज.राज्य
दांडिक निगरानी संख्या 280/2025
आदेश दिनांक 21.07.2026

10. परिणामतः निगराकार मकसूद की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसील लाडपुरा, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2025 अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कुलदीप शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम-3, कोटा

11. निर्णय आज दिनांक 21.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम-3, कोटा